न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारीः– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 103 / दावा / 2021

ता0 रजू 01.10.2021

GCMS ID–2021 / 2

उनवान

1. लक्ष्मण सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी टेम्पू बस स्टेण्ड के पास सुभाष नगर भीलवाडा।
2. लाडकंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी टेम्पू बस स्टेण्ड के पास सुभाष नगर भीलवाडा।

–वादीगण–

बनाम

1. ईशर सिंह आ0 किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी नारायणपुर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. भंवर सिंह आ0किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी कुम्भा स्टेडियम के सामने बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
3. राजू कंवर पुत्रीकिशोर सिंह पत्नी हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी लाल का बेडा शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
4. धीरेन्द्र सिंह आ0 स्व0 श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर थाने के पीछे पटेल नगर भीलवाडा।
5. रितेष आ0 स्व0 श्री श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर थाने के पीछे पटेल नगर भीलवाडा।
6. लाली पुत्रीस्व0 श्री श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर थाने के पीछे पटेल नगर भीलवाडा।
7. निहाल कंवर बैवा स्व0 श्री श्याम सिंहजाति राजपूतनिवासी प्रताप नगर थाने के पीछे पटेल नगर भीलवाडा।
8. शिवराज सिंह आ0 किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी नारायणपुर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व तकासमा

उपस्थितः–

श्री प्रेमशंकर गुर्जर अधि0 वादी

श्री चन्द्रप्रकाश जैनअधि0 प्रतिवादी

आंदेश **दिनांकः–26.05.2025**

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि वादी कृषि भूमि खाता संख्या नया 193 पुराना 192 की भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 0.2590 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.4775 है0,

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

खसरा संख्या 340 रकबा 0.4613 है0, खसरा संख्या 341 रकबा 0.0405 है0 तथा खसरा संख्या 539 रकबा 0.0809 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर भमि वाके ग्राम नारायणपुर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी 1 का 1/4 हिस्सा, तथा वादी संख्या 2 का 1/14 हिस्सा एवं खरीद करन से वादी संख्या 2 का ही 1/4 हिस्सा अलग से निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी संख्या 8 तथा श्याम सिंह प्रत्येक का 1/14 हिस्सा निहित है। उक्त श्याम सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम संख्या 4 लगायत 7 है। अर्थात प्रतिवादी क्रम संख्या 4 लगायत 7 का भी संयुक्त रूप से 1/14 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में जडाव बाई पत्नी स्व0 किशोर सिंह का 1/14 हिस्सा निहित है। उक्त जडाव बाई का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान वादी क्रम संख्या वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 8 तथा उक्त श्याम सिंह मृतक के वारिसान 4 लगायत 7 है। खातेदार जडाव बाई की मृत्यु होने के कारण 1/14 हिस्सा भी वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 में निहित हो गया है। श्याम सिंह का देहान्त होने से उसके वारिसान व विधिक प्रतिनिधि 4 लगायत 7 है। वादीगण आपस में पति पत्नी है और उन्होने सहखातेदारान की भूमियॉ भी पूर्व में खरीद की है और उपरोक्तानुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वादीगण का उक्तानुसार हिस्सा निहित है और वादीगण अपने हिस्से अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में मौखिक बंटवारा अनुसार खसरा संख्या 338 व खसरा संख्या 339 पर काबिज चले आ रहे और भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। संयुक्त खातेदारान ने आपसी सहमति से भूमियों का मौके पर मौखिक रूप बंटवारा किया हुआ है और उसी अनुसार भूमियों पर पक्षकारान काबिज चले आ रहे है। वादीगण भूमि खसरा संख्या 338 व खसरा संख्या 339 पर मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज है। और प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 अपने हिस्सानुसार शेष भूमियों पर मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे है। वादीगण अपनी भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे हैं और उपज प्राप्त कर रहे हैं और आय प्राप्त कर रहे है और बंटवारे में खसरा संख्या 338, 339 वादीगण के हिस्से खाते रखी जावे। अभी तक भी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है और बिना बंटवारा करवाये किसी भी पक्ष की भूमि बैचान का कोई अधिकार नहीं है। भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं होने से और खाता पृथक नहीं होने से तथा नक्शे इत्यादि में तरमीम नहीं होने से वादीगण अपनी भूमियों को विकसित नहीं कर पा रहे है। और वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है और भूमियॉ का बंटवारा नहीं होने से वादीगण सही रूप से उपयोग उपभोग भी नहीं करवा रहे रहे है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियॉ खसरा संख्या 341 में स्थित कुॅए से सिंचित होती है। जिस पर भी प्रत्येक खातेदार संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काबिज है और कुॅए का भी विधिवत रूप से बंटवारा किया जाना आवश्यक है। अभी हाल ही में माह अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह में वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 से वादपत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमियों का बंटवारा कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने पहले तो हामी भर दी फिर बाद में इंकार हो गये और कहा कि हम तो भूमियों का बंटवारा नहीं करायेगे तुम तुम्हारी मर्जी आये जो करो और भूमियों को बेंचान करने पर भी हमारे उपर कोई पाबंदी नहीं है। और बंटवारा करवाने से इंकार हो गये। यही वाद कारण है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित वादीगण सहित प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के हिस्से अनुसार भूमियों में बंटवारा करवावे और वादीगण अपना पृथक खाता कायम करवाकर इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम करवा कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करावे तथा प्रतिवादीगण की प्रतिबंधित करवाने के भी अधिकारी है किवे वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों को बिना बंटवारा कराये बिना बेचान या हस्तांतरण न करें। उक्त आशय की डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त करें। वाद कारण माह अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा कराने से इंकार होने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर उत्पन्न होता चला आ रहा है। न्यायालय की न्याय प्रभुत्व प्राप्त है। कृषि भूमि ग्राम नारायणपुर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थिति होने से वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है व क्षेत्राधिकार है। वादपत्र उचित कोर्ट फीस पर मय तलबाना शुल्क सम्मन संहित अवधि मध्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है तथा न्यायालय को न्याय प्रभुत्व प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावेः– वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादीगण सहित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य विधिवत रूप से हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर पक्षकारान का पृथक खाता कायम किया जावे तथा इसी अनुरूप नक्शे में पृथक तरमीम की जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में चरण संख्या 2 व 3 में वर्णितानुसार वादीगण का हिस्सा पृथक खाता दर्ज किया जाकर पृथक खाता कायम किया जावे तथा इसी अनुरूप नक्शे में पृथम से तरमीम किया जावे तथा राजस्व कागजातों में इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादीगण 9 को निर्देशित किया जावे तथा बंटवारे में प्राप्त होने वाली भूमियों पर अनन्य रूप से कब्जा व वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को बिना बंटवारा कराये व वादग्रस्त भूमियों को बैचान नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वह भी वादीगण को दिलायी जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरियें सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 2 वाबजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध दिनांक 22.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये। तथा प्रतिवादीगण नं. 01,03 लगायत 08 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद वादीगण स्वीकार है वादगस्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने में प्रतिवादीगण का कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 9 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण का जबाव स्वीकारात्मक होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है। वकील प्रतिवादीगण कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 193 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम नारायणपुर पटवार मण्डल डाटून्दा तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह/जिरह प्रतिवादी दर्ज करवाई गई।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र/प्रतिवाद पत्र के अनुसार रही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षंकारान वादीगण–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 27.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/34 दिनांकः– 07.01.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम नारायणपुर पटवार मण्डल डाटून्दा की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	लक्ष्मणसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 37/84, लाडकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा 37/84, लाडकंवर पुत्री किशोरसिंह हिस्सा 10/84 जाति राजपूत सा0 भीलवाडा खातेदार।	339 338/1	0.4775 0.2070
	योग	किता– 2	0.6845
2.	ईशरसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 855/5130, जडावबाई पत्नी स्व0 किशोरसिंह हिस्सा 855/5130, धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्यामसिंह हिस्सा 855/20520, निहाल कंवर पत्नी स्व0 श्यामसिंह हिस्सा 855/20520, भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 855/5130, राज कंवर पुत्री किशोरसिंह हिस्सा 855/5130, रितु कंवर पुत्री	340 338/2	0.4613 0.0520

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	श्यामसिंह हिस्सा 855 / 20520, रितेशसिंह पुत्र श्यामसिंह हिस्सा 855 / 20520, शिवराज सिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 855 / 5130 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार।		
	योग	किता–2	0.5133
3.	शामलाती खाता जमांबंदी अनुसार।	341 539	0.0405 0.0809
	योग	किता–2	0.1214

नक्शे में वादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियों को लाल कलर से व प्रतिवादीगण के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को नीले कलर से व शामलाती भूमियों को काले कलर से प्रस्तावित नक्शें में दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)